

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु,

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/चूरु/आरटीई/मूल मान्यता/2012/217

दिनांक : 30.09.2013

अध्यक्ष

प्रबन्ध समिति,
भरतीया इंटरनेशनल स्कूल,
राजलदेसर (रतनगढ़)।

विषय:-नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय/महोदया,


आपके आवेदन दिनांक — और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं भरतीया इंटरनेशनल स्कूल, राजलदेसर (रतनगढ़) को 2013-14 से 2014-15 तक दो वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से 6 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विधालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विधालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक असं प्रडोस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विधालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विधालय आयु के स्वतृत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-
 (i) विधालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
 (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
 (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ;
 (v) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विधार्थियों को सम्मिलित किया जाये ;
 (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 के अधीन अधिकारी, न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें, परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुके उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

- (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम द्वी धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लम्बके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विधालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य विवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विधालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19. में यथा — विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :—
- विधालय परिसर का क्षेत्र — 3.84 एकड़
 - कुल निर्मित क्षेत्र — 25000 वर्गमीटर
 - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र — है।
 - कक्षा के कमरों की संख्या — 8
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भडार कक्ष — है।
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक—पृथक शौचघर — है।
 - पीने के पानी की सुविधा — है।
 - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई — नहीं है।
 - अवरोध मुक्त पहुँच — है।
 - अध्यापन विज्ञाता सामग्री / खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता — है।
9. विधालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विधालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विधालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विधालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा औरउ नहें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 736 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विधालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय—समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विधालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्त संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

मवनीय

श. 
जिला शिक्षा अधिकारी ३० अ
प्रारंभिक शिक्षा, चूरू